राजस्थान विधान सभा सचिवालय

:आज्ञा:

संख्या: 251 / संस्था/विस/2015 जयपुर, दिनांक 24 फरवरी, 2015.

राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा वर्ष, 2015 में आयोजित प्रतिवेदक (आंग्ल भाषा) परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थी को अस्थायी आधार पर प्रतिवेदक (आंग्ल भाषा) के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 15660/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे बैण्ड-2 9300-34800 (ग्रेड पे 4800/-) पर निम्नलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	रोल नं.	जन्म तिथि
1.	श्री रवि शर्मा	श्री कृपाशंकर शर्मा	सामान्य	6	07.04.1980

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए इस सचिवालय को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की प्रत्याशित दिनांक से यथासमय सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रतिवेदक के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से मान्य होगी।
4. उपरोक्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प. 12(6) वित्त/ नियम/ 05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)वित्त/नियम /2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) वित्त/ नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) वित्त/नियम/ 2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 व परिशिष्ठ-IV के अन्तर्गत एवं समय-समय पर संशोधित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

5. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर है, परन्तु इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप में स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थायी पद रिक्त होंगे, इनको प्रतिवेदक के पद पर राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अन्तर्गत स्थायी आधार पर नियुक्त किया जायेगा।
8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्रतिवेदक के पे बैण्ड 2 9300-34800 (ग्रेड पे 4800/-) में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राज्य सरकार के नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में नियोजित हैं उन्हें उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है अथवा दस्तावेज कूटरचित पाए जाते है तो इस सचिवालय द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी को राज्य सरकार की छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने की नीति के संदर्भ में, दिनांक 01/06/2002 एवं इसके पश्चात तीसरी संतान संबंधी प्रावधान का उल्लंघन न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(पृथ्वी राज)
विशिष्ट सचिव

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्याः एफ.3(7)संस्था/विस/2014-15/ 7703-22

जयपुर, दिनांक 24 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित हैः-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक/माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक, समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी/पुस्तकालयाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. सम्पादक (वाद-विवाद/मुद्रण), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
9. प्रोटोकॉल अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
10. श्री रवि शर्मा, 62, ग्रेटर कैलाश, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-302015
11. आज्ञा पंजिका।
12. संबंधित पंजिका।
13. संरक्षित पंजिका।

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव (प्रशासन)